आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, गांधी भवन मण्डी (हिमाचल प्रदेश)
Ayurveda Regional Research Institute, Gandhi Bhawan, Mandi, (H.P.) 175001
केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, (भारत सरकार)
दूरभाष: 01905 -222857, 221636, टैलीफैक्स : 01905 -222857, Email : arri-mandi@gov.in

फा.सं.: 4-24/2015/ए.आर.आर.आई./तक./450 दिनॉक:14-12-2015

सीमित निविदा आंमत्रण

1. विज्ञापन सं. 3/2015 दिनांक 14 दिसम्बर, 2015
2. निविदा की अंतिम तिथि: (दिनांक 22.12.2015, 3:00 बजे तक)
3. निविदा खोलने की तिथि: (दिनांक 22.12.2015, 3:30 बजे)

सेवा में,

1. मै. हरिओम ट्रैवलज, एस सी ओ-2/4, अस्पताल रोड़, निरामय क्लीनिक के निकट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
2. प्रधान, मै. देवभूमि टैक्सी स्टैण्ड, शेरी बाजार मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
3. मै. सतलुज टूअर एण्ड ट्रैवलज, बस स्टैण्ड के निकट मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
4. मै. सिध्दि विनायक टूअर एण्ड ट्रैवलज, मण्डी बस स्टैण्ड के निकट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
5. मै. कुशल कुमार एण्ड संज़, गाँव पंजेटी, पो.ऑ. तल्याढ़, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
6. मै. अजय परमार एण्ड संज़, जेल रोड़, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
7. मै. राकेश कुमार एण्ड संज़, गाँव मराथू, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

विषय: स्वास्थ्य कार्यक्रमों हेतु किराये पर वाहन उपलब्ध कराने बारे।

इस संस्थान में केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत "स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम (स्वच्छता मिशन)" एवं "अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आयुर्वेद मोबाईल स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम" के लिये मण्डी तथा कुल्लू जिलों के निकटवर्ती एवं दूर के गावों के परिवारों के सर्वे, स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि वितरण हेतु निम्न विवरणानुसार एवं दर्शाई गई शर्तो के अनुसार न्यूनतम दरों पर महेन्द्रा बोलेरो, इनोवा, टाटा सूमों, टवेरा, मारूती स्विफ्ट डिज़ायर वाहनों के लिये सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है।

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	वाहन की संख्या	गांव/स्थान आने जाने की अनुमानित दूरी
1.	स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम (स्वच्छता मिशन)	एक वर्ष	1	तल्याढ़ 10 कि.मी., नेरचौक 20 कि.मी., कटिण्ढी 20 कि.मी., पण्डोह 40 कि.मी., कोटली 50 कि.मी., (सप्ताह मे पाँच बार, महीने मे 20 बार)
2.	अनुसूचित जाति उपयोजना में आयुर्वेद मोबाइल स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम।	छः महीने	1	बन्जार तथा बाली चौकी में 3 गांव, प्रत्येक में आना जाना लगभग 160 कि.मी., (सप्ताह में तीन बार, महीने में 12 बार)

नियम व शर्ते:

1. निविदायें निर्धारित प्रपत्र में प्रभारी (संस्थान), ए. आर. आर. आई., गाँधी भवन मण्डी के पते पर भेजें जो 21.12.2015 को 3:00 बजे तक प्राप्त होनी चाहिये जो उसी दिन 3:30 बजे खोली जायेगीं।
2. निविदा के साथ रू. 5,000/- ब्याना (EMD) बैंक ड्राफ्ट द्वारा संलग्न हो जो एसिस्टेंट डायरेक्टर इंचार्ज, ए. आर. आर. आई. के नाम देय हो जिसके बिना निविदा मान्य नहीं होगी। असफल निविदाकारों की ब्याना राशि निविदा स्वीकृति के पश्चात उन्हें वापस कर दी जायेगी।
3. निविदाओं के साथ वाहन पंजीकरण, टैक्सी परमिट, वाहन नं., मॉडल नं./टाइप देना होगा। वाहन पाँच साल से पुराना न हो तथा टैक्सी रूप में पंजीकृत हो। फर्म शनिवार, रविवार तथा अन्य अवकाश पर भी वाहन देने में सक्षम हो।

4. फर्म का अपना मोबाइल फोन तथा सामान्य फोन हो। वाहन चालक के पास भी मोबाइल सुविधा हो, लाईट मोटर व्हीकल (LMV) का वैध लाईसेंस हो तथा उसे न्यूनतम तीन साल का अनुभव हो।

5. सफल निविदाकर्ता को रू. 10,000/- की जमानत राशि एसिस्टैन्ट डायरेक्टर ईचार्ज, ए. आर. आर. आई. के नाम बैंक ड्राफ्ट के रूप में देनी होगी जो संविदा की समाप्ति पर वापस कर दी जायेगी। यदि फर्म द्वारा नियमों-शर्तो का उल्लंघन होगा या सेवायें असंतोषजनक होगीं या सेवा प्रदान करने से मना कर दे तो ब्याना राशि/जमानत राशि जब्त हो जायेगी जिसके लिये संस्थान का निर्णय मान्य होगा।

6. मांग सूचना के अनुसार वाहन प्रातः 9:00 बजे चालक एवं पी. ओ. एल. सहित गांधी भवन पर उपलब्ध कराना होगा। कार्य की अवधि सामान्यतः 9 घंटे यानी सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक होगी। यदि फर्म मांग सूचना देने पर टैक्सी देने में असफल होगी तो उसके लिये प्रत्येक समय रू.500/- की कटौती की जायेगी।

7. स्वीकृत दर के आलावा अन्य कोई प्रभार संस्थान द्वारा देय नहीं होगा।

8. यात्रा के समय की गिनती गांधी भवन से चलकर वापस गांधी भवन तक होगी। दरें प्रतिवाहन निर्धारित अवधि के लिये प्रतिमास के लिये दी जायें। संस्थान वाहन के खराब होने या उसकी गुरम्मत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वाहन खराब होने की परिस्थिति में फर्म को उसी स्थान पर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उसके लिए उपयुक्त कटौती की जायेगी।

9. भुगतान मासिक आधार पर चैक द्वारा फर्म के नाम से किया जायेगा तथा नियमानुसार आयकर/सर्विस टैक्स देय राशि से काट लिया जायेगा। फर्म का पैन न. (PAN) तथा सर्विस टैक्स पंजीकरण नं. की प्रति सलंग्न करें ।

10. वाहनों की संख्या एवं अवधि आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है।

11. किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार प्रभारी संस्थान के पास होगा।

(डा. एस. के. शर्मा)
प्रभारी (संस्थान)

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. महानिदेशक सी.सी.आर.ए.एस. जनकपुरी, नई दिल्ली।
   उक्त् निविदा आमंत्रण विज्ञापन को परिषद के वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।
2. संबधित कार्यक्रम अधिकारी/ स्टाफ

ए. आर. आर. आई., मण्डी में किराए पर वाहन प्रदान करने का निविदा प्रपत्र

क्र. सं.	वाहन के प्रकार	तल्याहढ़, नेरचौक, कटिण्ढी, पंडोह, कोटली आने जाने के लिये धन राशि (सप्ताह में 1-1 बार, महीने में 20 बार)	बंजार व बालीचौकी में तीन गाँव में आने जाने के लिये धन राशि (सप्ताह में 1-1 बार, महीने में 12 बार)	वाहन पंजीकरण संख्या / मॉडल वर्ष
1.	महेन्द्रा बोलेरो			
2.	इनोवा			
3.	टाटा सूमो			
4.	मारूति स्विफ्ट डिजायर			
5.	टवेरा			

पैन नं. (PAN) ....
सर्विस टैक्स नं. ....
ब्याना राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट नं. ....
दिनॉक: ....

नाम व हस्ताक्षर ....
फर्म का नाम व पत्ता ....
....

दिनॉक:

मो. नं. .... दूरभाष ....